प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 28.08.2024

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते महिला से लूट करने वाले 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा 05 वर्ष के कठिन कारावास की सजा सुनायी गयी तथा 12,000/- रूपये का दिया गया अर्थदंड।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में थाना इकदिल व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते महिला से लूट करने वाले 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा 05 वर्ष के कठिन कारावास की सजा सुनायी गयी तथा 12,000/- रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरणः-

वादी की तहरीर के आधार पर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी की पत्नी के सिर पर किसी भारी वस्तु से वार कर पर्स मे रखा मोबाइल, 5,000/- रुपये, सोने की चेन तथा अंगुठी व अन्य सामान छीन लेने के संबंध मे थाना इकदिल पर **मु0अ0सं0 460/14 धारा 394 भादवि बढोत्तरी धारा 411 भादवि** पंजीकृत किया गया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना इकदिल पुलिस टीम, पैरोकार का0 विपिन कुमार एवं मानीटरिंग सैल व एडीजीसी श्री गौरव दीक्षित द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त को **आज दिनांक 28.08.2024 को अभियुक्त अमित प्रजापति पुत्र रविन्द्र कुमार को मा0 न्याया0 एडीजे- 3/ स्पे0जज डकैती कोर्ट इटावा द्वारा 05 वर्ष के कठिन कारावास व 12,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

सजायाफ्ता अपराधी-

1. **अमित प्रजापति पुत्र रविन्द्र कुमार नि0 आयारा थाना बसरेहर जनपद इटावा।**